"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2002—ज्येष्ठ 24, शक 1924

भाग 3 (1)

विविध
न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, महासमुन्द (छ. ग.)

प्रारूप - चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

चूंकि तुकाराम पुत्र गोकुल पटेल निवासी पिथौरा तहसील महासमुन्द ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को विचार के लिए लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास जिला महासमुन्द का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास की सम्पत्ति :

1. ग्राम पिथौरा प. ह. नं. 22, रा. नि. मं. पिथौरा, तहसील जिला महासमुंद स्थित भूमि ख. नं. 21040 क्षेत्रफल 0.138 हे.

2. गायत्री माता का मंदिर पक्का कुंआ. कमरा चौहदी. अनुमानित मूल्य 2,50,000/- एवं मंदिर की अन्य संपत्ति.

3. लोक न्यास का नाम-गायत्री शक्ति पीठ पिथौरा, तहसील महासमुन्द, जिला महासमुन्द.

(मुख्यालय-श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार उत्तरप्रदेश)

प्रारूप - चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

चूंकि विश्वनाथ पुत्र लोकनाथ अग्रवाल निवासी बागबाहरा तहसील महासमुन्द (छ. ग.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को विचार के लिए लिया जावेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करता है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास जिला महासमुन्द का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 29-10-2001 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास की सम्पत्ति : (अ) वेदमाता गायत्री ट्रस्ट ग्राम लालपुर प. ह. नं. 119/66 (ऋण पुस्तिका क्रमांक 1551893 में वर्णित (परिवर्तित),2563 वर्ग .

(ब) प्रज्ञा मण्डल जनजागरण समिति बागबाहरा 420 वर्ग फु.
(परिवर्तित) ऋ.पु.क्र. 1808338 में वर्णित.

(स) वर्णित संम्पत्ति नगरपालिका क्षेत्र बागबाहरा में है, जिसका वर्तमान में मूल्य लगभग 3,00,000/- रु. (तीन लाख रुपये) है.

(द) चल सम्पत्ति-वाध यंत्र, बर्तन, माईकसेट, फर्नीचर, दरी, पंखा, कीमती 35,000/- रु. (पैंतीस हजार रुपये).

प्रारूप - चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

चूंकि श्री नोखेलाल चंद्राकर राधाकृष्ण मंदिर निवासी बेमचा तहसील महासमुंद ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 18-5-98 को विचार के लिए लिया जायेगा. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उनके बारे में कार्य आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं अमृत खलखो रजिस्ट्रार महासमुंद, जिला रायपुर लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 28-5-98 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर 2 दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता व संपत्ति का विवरण)

राधाकृष्ण मंदिर, बेमचा ख. नं. 363, 425, 427, 454, 922, 1097, 1398/3, 1448/2 रकबा क्रमश: 0.993, 0.045, 0.012, 0.040, 0.016, 0.049,
0.292, 0.004 कुल 1.071हे. कीमती 1,65,000 रु. मात्र

अमृत खलखो,
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर 13 दिसम्बर 2001

चूंकि मिकि मेमोरियल ट्रस्ट वल्लभ कालोनी, 322, रायपुर छ. ग. ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 14-1-2002 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होंवे. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

मिकि मेमोरियल ट्रस्ट, 322 वल्लभ कालोनी रायपुर, चल संपत्ति 5000.00 नगद (अक्षरी पांच हजार रु. मात्र)

रायपुर दिनांक 5 नवम्बर 2001

चूंकि श्री भगवानदास धर्मदा समिति निवासी 11 जलाशय मार्ग, चौबे कालोनी रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 12-12-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	:	भगवानदास धर्मदा समिति चौबे कॉलोनी रायपुर
	चल संपत्ति	:	निरंक
	अचल संपत्ति	:	2586 (दो हजार पांच सौ छियासी रुपये) मात्र.

रायपुर दिनांक 8 फरवरी 2002

प्रकरण क्रमांक 06 ब-113 (1) 2000-2001

चूंकि मो. मोहसिन खान पिता स्व. मो. युनूस खान निवासी मकान नं. 38/929 बैरनबाजार रायपुर (छ. ग.) के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से (सिराजुन्निसा युनूस खान मेमोरियल ट्रस्ट विवेकानंदनगर रायपुर के नाम से) आवेदक ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव सूचित किया

जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 14-3-2002 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम : सिराजुन्निसा युनूस खान मेमोरियल ट्रस्ट-पता द्वारा डा. नीतिन कुमार धावलिया 75 विवेकानंदनगर रायपुर, (छ. ग.).

2. ट्रस्ट की अचल संपत्ति : निरंक

3. ट्रस्ट की चल संपत्ति : (1) भारतीय स्टेट बैंक कचहरी शाखा रायपुर में खाता क्रमांक 01100050807 में 23566.65 नगर राशि जमा.

(2) भारतीय स्टेट बैंक कचहरी शाखा रायपुर में सावधि जमा रसीद क्रमांक 650, 283 दिनांक 27-1-2001 से 27-1-2004 तक जमा राशि रु. तीन लाख मात्र.

रायपुर दिनांक 9 अक्टूबर 2001

चूंकि श्री राम सहाय मिश्रा आवेदक के द्वारा श्री स्वामी शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी सिद्ध महायोग, रायपुरा, शीतलावार्ड रायपुरा ट्रस्ट के नाम से पंजीयन हेतु आवेदक ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 19-11-2001 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम : श्री स्वामी शिवोम तीर्थ कुण्डलिनी सिद्ध महायोग केन्द्र रायपुरा.

2. ट्रस्ट की अचल संपत्ति : खसरा नंबर 608/2 रकबा 1500 वर्गफुट ग्राम रायपुरा प. ह. नं. 104 तहसील रायपुर अनुमानित लागत 51,000/-

3. ट्रस्ट की चल संपत्ति : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के खाता क्रमांक 11938 में रु. 58,660.00 जमा होना बतलाया है.

रायपुर दिनांक 29 अप्रैल 2002

चूंकि आवेदक डॉ. दीपक शर्मा आत्मज स्व. श्री रामगोपाल शर्मा, सचिव छत्तीसगढ़ श्री वल्लभ प्रीति सेवा समाज न्यास रायपुर पता-दीपक हाउस जलगृह मार्ग टिकरापारा रायपुर छ. ग. के द्वारा म. प्र. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 के 30) की धारा 4 के तहत छत्तीसगढ़ श्री वल्लभ प्रीति सेवा समाज न्यास के नाम से सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति का पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है. अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 31-5-2002 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे. और पेशी के दिन स्वत: या अपने वकील अथवा एजेन्ट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आरोपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	छत्तीसगढ़ श्री वल्लभ प्रीति सेवा समाज न्यास, रायपुर.
2.	कार्यालय	:	न्यास का प्रधान कार्यालय-दीपक हाउस जलगृह मार्ग टिकरापारा, रायपुर, छ. ग.
3.	ट्रस्ट की चल संपत्ति	:	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया विवेकानंद आश्रम शाखा, रायपुर के खाता क्रमांक 34336 में जमा राशि रु. 1000.00.
4.	ट्रस्ट की अचल संपत्ति	:	निरंक

रमेश शर्मा
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं जन न्यास पंजीयन अधिकारी, गरियाबंद ज़िला रायपुर (छ. ग.)

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा (2) तथा म. प्र. जन न्यास अधि. 1962 के नियम 51 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक 01/ब/113 (4) वर्ष 97-98 देवभोग

चूंकि मध्यप्रदेश जन न्यास अधिकारी, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण में सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 19-3-2001 को स्थान गरियाबंद जिला रायपुर में समय 10.30 बजे दिन को होगी.

इस न्यास की सम्पत्ति में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकते हैं. तथा मेरे समक्ष उपस्थित होकर अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता व संपत्ति का विवरण)

1. श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर, अचल संपत्ति खसरा नं. 79, रकबा 0.13, लगान 0.25, ख. नं. 76, रकबा 0.65, लगान 1.50.

2. श्री महादेव स्वामी मंदिर, अचल सम्पत्ति खसरा नं. 103, रकबा 14.51 हे. , लगान 33.50

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम 1951 की धारा (2) तथा म. प्र. जन न्यास अधि. 1962 के नियम 51 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक 01/ब/113 (4) वर्ष 99-2000 ग्राम बिनौरी

चूंकि मध्यप्रदेश जन न्यास अधि. 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में है कि इस प्रकरण की सुनवाई मेरे न्यायालय में दिनांक 27-4-2001 को स्थान गरियाबंद में समय 10.30 बजे होगी.इस न्या की सम्पत्ति में रूचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के एम माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित रूप से भेज सकता है तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हो सकता है. इस अवधि की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता संपत्ति का विवरण)

1.	मंदिर का नाम	:	श्री शंकर भगवान मंदिर ग्राम बिनौरी हल्का नंबर 4 तहसील राजिम
2.	अचल संपत्ति	:	खसरा नं. 493,530,406,777/2, रकबा 0.96
3.	चल संपत्ति	:	एक पीतल का घंटा लगभग 1 1/2 कि.

नवनीतम कुमार,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

चूंकि इस न्यायालय के समक्ष श्री अशोक जायसवाल पुत्र श्री बाबूलाल जायसवाल निवासी मनेन्द्रगढ, तहसील मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 4 मार्च 2002 को विचार हेतु रखा गया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सी. बी. तिर्की, लोक न्यास एवं अनु. अधिकारी मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 4-3-2002 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	लायन चन्दूलाल अग्रवाल स्मृति लायन्स नेत्र चिकित्सालय, ट्रस्ट मौहारपारा, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया.
2.	लोक न्यास की सम्पत्ति	:	मनेन्द्रगढ़ रा. नि. मं. एवं तहसील मनेन्द्रगढ़ प. ह. नं. 10 अ के खसरा क्रमांक 97/3 रकबा 0.125 हे. भूमि तथा उस पर निर्माणाधीन चिकित्सालय भवन.

सी. बी. तिर्की,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, रायपुर सामान्य वनमण्डल, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2002

क्रमांक 149.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आकृति का मार्किंग हैमर परिक्षेत्र अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा वन रक्षक की संतराम मिरी कूप प्रभारी कूप नं. एक को प्रदाय किया गया था. कूप प्रभारी द्वारा मार्किंग कार्य उपरान्त वापस मुख्यालय आने के समय लापरवाही के कारण सायकल से हैमर कहीं गुम हो गया. जिसका तलाश करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को अपलेखित किया जाता है.

उक्त हैमर की राशि रु. 60 (साठ रु.) बीट गार्ड श्री संतराम मिरी से वसूल करने का आदेश किया जाता है तथा लापरवाही पूर्वक हैमर गुम होने के कारण उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिए सचेत किया जाता है.

यदि उक्त हैमर किसी व्यक्ति को मिले तो समीप के वन कार्यालय या थाना में जमा करने का कष्ट करें.

इस विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त आकृति के हैमर को कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से रखे हुए अपना उपयोग में लाते हुए पाया गया तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 63 के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा और व दण्ड का भागी होगा.

राकेश कुमार चतुर्वेदी
वनमण्डलाधिकारी

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.